

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18112020-223172 CG-MH-E-18112020-223172

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] No. 497] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

भारतीय रिजर्व बैंक

(विनियमन विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 18 नवम्बर, 2020

सं. विवि. 048/कानि (एसएस)-2020.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987(1987 का 53) की धारा 29ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ आवास वित्त को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में शुरू करने वाले या आवास वित्त के व्यवसाय को अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में संचालित करने वाले ऐसे आवास वित्त संस्थान जो कंपनी हैं, के लिए निवल स्वाधिकृत निधि बीस करोड़ रुपये विनिर्दिष्ट करता है।

बशर्ते कि कोई ऐसा आवास वित्त संस्थान जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाली कंपनी है और जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि बीस करोड़ रुपये से कम है, यदि ऐसी कंपनी 01 अप्रैल, 2022 से पहले पंद्रह करोड़ रुपये और 01 अप्रैल 2023 से पहले बीस करोड़ रुपये का निवल स्वाधिकृत निधि प्राप्त करती है तो वह आवास वित्त संस्थान का व्यवसाय जारी रख सकता है।

सौरभ सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./366/2020-21]

5598 GI/2020 (1)

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Regulation)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th November, 2020

No. DOR.048/ED(SS)–2020.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 29A of National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Reserve Bank of India hereby specifies the net owned fund of twenty crore rupees for housing finance institution which is a company to commence housing finance as its principal business or carry on the business of housing finance as its principal business.

Provided that a housing finance institution which is a company holding a Certificate of Registration issued under Section 29A of National Housing Bank Act, 1987 and having net owned fund less than twenty crore rupees, may continue to carry on the business of housing finance institution, if such company achieves net owned fund of fifteen crore rupees before April 01, 2022 and twenty crore rupees before April 01, 2023.

SAURAV SINHA, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./366/2020-21]